

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 5008

दिनांक : 20-02-2025

आदेश संख्या 252/2024-25

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	मेरिट नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	4461	484/1994	बालू लाल माली	30.06.1965	30-06-2025	-
2.	4404	335/1994	बक्षाराम मुवाल	01.07.1965	30-06-2025	-
3.	2916	355/1994	महेश चन्द गुप्ता	06.07.1965	31-07-2025	-
4.	6055	DGS	महेन्द्र कुमार बाहेती	01.09.1965	31-08-2025	-
5.	5749	139/1992SP	श्रवण लाल रैगर	10.09.1965	30-09-2025	-
6.	6103	DGS/1989	नरेन्द्र कुमार शर्मा	29.09.1965	30-09-2025	-
7.	2205	491/1986	जयवन्त कुमार जैन	09.10.1965	31-10-2025	-
8.	4774	376/1988	अनूपचंद सोनी	18.10.1965	31-10-2025	-
9.	4394	290/1994	बलजीत सिंह सैनी	21.01.1966	31-01-2026	-
10.	3509	269/1992	किस्तूराराम मेहरिया	23.03.1966	31-03-2026	-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकप.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से, राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों को आवंटित राजकीय आवास सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही रिक्त करना अनिवार्य है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 20-02-2025

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्ति) अलेसे-11/ 5008

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायेँ जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय
8. अलेसे-11/111/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फ़ाईल।


(सोमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)